# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 10.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवेध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा के मारदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 42 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री राज्श कुमार राय थाना सरधुवा व आरक्षी शक्ति सिंह,आरक्षी सतीश कुमार द्वारा अभियुक्त संतोष कुमार सिंह पुत्र भानुप्रताप सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार,आरक्षी दीपांकर सिंह द्वारा अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह को 17 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(4).** आज दिनांक 10.12.2024 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह की उपस्थिति में पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन -पानी.... किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम श्री साईं मंदिर परिसर बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट में प्रतिभाग कर माँ सरस्वती व राष्ट्रपिता महात्मागांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं/महिलाओं को महिला सशक्तिकरण तथा मानवाधिकार के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में भलीभांति बताया एवं समझाया गया । महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आदि विषयों पर जागरूक करते हुए मिशन शक्ति के सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

इस दौरान अपराध निरीक्षक प्रभुनाथ यादव,एनजीओ संचालक श्री रोहित राज,पीआरओं श्री प्रदीप पाल एवं थाना पहाड़ी के अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 बंश नारायण सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु0अं0सं0 257/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 के वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री बंश नारायण सिंह

2.आरक्षी संदीप यादव

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले 01 आरोपी अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 09.12.2024 को वादी मोहनलाल पुत्र जानकीशरण पाण्डेय निवासी अमिलिहा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि मेरे गांव के चन्द्रशेखर, रविशेखर पुत्रगण अवध शरण पाण्डेय, विमला उर्फ गोल्हुवा पत्नी अवधशरण पाण्डेय, पुष्पा पत्नी चन्द्रशेखर पाण्डेय व अवधशरण पाण्डेय पुत्र जानकीशरण पाण्डेय द्वारा घर घुसकर में मुझे तथा मेरे भाई रामकिंकर के साथ लाठी डण्डा व तमंचा से मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना। सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 182/2024 धारा 191(2),333,115(2),352,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष भरतकूप को घटना के अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। आज दिनाँक 10.12.2024 को उ0नि0 श्री अभिषेक थाना भरतकूप व उनकी टीम ने मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वाँछित अभियुक्त रविशेखर पुत्र अवधशरण निवासी ग्राम अमिलिहा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को अमिलिहा रेलवे फाटक से अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1.उ0नि0 श्री अभिषेक थाना भरतकूप

2.आरक्षी नरेन्द्र

3.आरक्षी रणवीर

**(7).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त हरिमोहन केवट पुत्र चन्द्रपाल केवट निवासी टिकरा टोला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

**(8).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विजय पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनांक 10.12.2024 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मुकेश निषाद पुत्र राजू निषाद निवासी नीरज टाकिज के पीछे कटनी कोतवाली कटनी म0प्र0 को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।